"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 मई 2017 — वैशाख 11, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक 4115 A/डी. 91/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अधिनियम , 2017

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) में,-

(क) प्रस्तावना में, शब्द "कुंभ मेला" के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) धारा 1 की उप-धारा (1) में, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006" के स्थान पर, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ग) जहां कहीं भी शब्द "कुंभ मेला" आया हो के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये.

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्र. 2 सन् 2017) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक 4115 A/डी. 91/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.—– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1-5-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 6 of 2017)

THE CHHATTISGARH RAJIM KUMBH MELA (AMENDMENT) ACT, 2017

An Act to amend the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to such area as may be notified in the Official Gazette, by the State Government, as the Rajim Kumbh Mela Area, from time to time.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of the Principal Act.

2. In the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006),-

(a) in the preamble, for the word "Kumbh Mela", the word "Kumbh (Kalp) Mela" shall be substituted;

(b) in sub-section (1) of Section 1, for the short title "the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006", the short title "the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006" shall be substituted; and

(c) for the word "Kumbh Mela", wherever they occur, the word "Kumbh (Kalp) Mela" shall be substituted.

Repeal.

3. The Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 2 of 2017) is hereby, repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.